कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Ph. No. 09414543695
Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

कमांकःकृमविझि/संस्था./2024/ 1165 दिनांकः 05.07.2024

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, झिलाई के फार्म गाँव–हरीपुरा (सिरोही रोड) पर 2024 (खरीफ) की विभिन्न फसल उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 12.07.2024 को दोपहर बाद 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 200/– रूपये कैशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 200/– का डी.डी. लगाकर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ कुल धरोहर राशि का 5000/– नगद/बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 12.07.2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान निदेशक, अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को DOR/SKNAU/2022/679 dated 20-10-2022 के बाबत्।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट और SPPP पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।
4. सूचना पट्ट, कार्या0 उपखण्ड अधिकारी, कार्या0–निवाई/कार्या0 पं.स. निवाई/कृषि उपज मण्डी निवाई/ग्राम पंचायत झिलाई।
5. स्थापना/लेखा–शाखा, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
6. सूचना पट्ट।

अधिष्ठाता

College of Agriculture

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner - Jaipur)

Jhilai (Niwai)- 304025 Tonk (Rajasthan)

हिस्सा आधारित खेती व निविदा की शर्ते :–

1.	बीज एवं बीजोपचार तथा फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद, उर्वरक, फफूँदनाशक दवाईयाँ सभी व्यवस्था कॉलेज द्वारा देय होगी।
2.	बुवाई से फसल थ्रेसिंग व उत्पादन को तोलकर स्टोर में रखवाने तक की प्रक्रिया का श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
3.	विभिन्न शस्य क्रियाये फार्म प्रबन्धक के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सम्पूर्ण श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें व फसलों को खरपतवार मुक्त रखना होगा।
4.	ट्रेक्टर, निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। निराई गुड़ाई तथा कटाई में उपयोग होने वाले औजार ठेकेदार के होंगे।
5.	कोन्ट्रेक्ट खत्म होने/फसल पकने पर फार्म से लिया कृषि उपकरण स्टोर में जमा करवाने होगे।
6.	थ्रेसिंग मशीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी/फार्म मैंनेजर के निर्देशानुसार निविदाता द्वारा करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैंनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
7.	प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
8.	दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
9.	दर देने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे।
10.	ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने का पूर्ण उतरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा। किसी भी शर्त को कम करके या नई शर्ते बढ़ाने का पूर्व अधिकार अधिष्ठाता को होगा। जिसकी लिखित सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।
11.	सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फ़सल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढाई जा सकती है। यदि सिंचाई व्यवस्था में श्रमिक के अतिरिक्त डीजल व पाईप का किराया इत्यादि की आवश्यकता रहेगी, तो कॉलेज तथा ठेकेदार का आधा–आधा खर्च देय होगा।
12.	सम्पूर्ण खेती का कार्य फार्म प्रबन्धक/अधिष्ठाता के निर्देशानुसार करना होगा।
13.	किसी भी प्रकार के कार्य संबंधि विवाद की स्थिति में फार्म प्रभारी/प्रबन्धक को निर्णय का पूरा अधिकार होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा। क़ेन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों का अधिष्ठाता के निर्देशानुसार सुविधाएँ देय होगी।
14.	किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
15.	व्यावसायिक फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी/चौकीदारी/सुरक्षा दिन व रात में करनी होगी। फसल की निगरानी स्वयं ठेकेदार की होगी।
16.	धरोहर राशि कुल लागत का रू.5000/– उसी दिन 12.07.2024 को जमा करवानी होगी।
17.	निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा।

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ। कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक नाम :– पता:– मो0 न0:–	अधिष्ठाता के हस्ताक्षर मय सील

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Ph. No. 09414543695
Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

खुली निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :–

1.	**योजना का नामः** व्यावसायिक खरीफ फसल उत्पादन हेतु वर्ष 2024 हिस्सा आधारित खेती
2.	**बजट मदः** रिवोल्विग फण्ड, 2024
3.	**कार्य की अनुमानित अवधिः** 6 माह (खरीफ 2024)
4.	**धरोहर राशि की प्रकृति व राशिः** नगद / बैंकर चैक / डी.डी राशि रूपये 5000 / – **निविदा फार्म की कीमत :** रूपये 200 / –
5.	**निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि** :– 12.07.2024 दोपहरः 1.00 बजे
6.	**निविदा खोलने की दिनांक व समय** :– 12.07.2024 दोपहरः 2.00 बजे
7.	**निविदादाता** : कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण (संलग्न)

क्र. सं.	बोई जाने वाली फसल का नाम	उत्पादन में दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)	
		कॉलेज हिस्सा	ठेकेदार हिस्सा
1.	बजरा, तिल, ग्वार एवं मूँगफली		

नोटः (ठेकेदार को थ्रेसिंग कार्य स्वयं को करना होगा तथा चारे का आधा हिस्सा भी दिया जायेगा। ऐसी स्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपना हिस्सा दर्शायें।)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय पूर्ण पता